न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर

बइजलास–रामजस विश्नोई (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 13/2019

वादी	प्रतिवादीगण
1. प्रेमनाथ उर्फ पूर्णनाथ पुत्र किशनाथ जाति सिद्ध, निवासी जानेवा पश्चिम तहसील जायल, जिला नागौर	1. जेसनाथ पुत्र तकानाथ 2. पार्वती पत्नी रूपनाथ 3. देवनाथ पुत्र रूपनाथ 4. दिलीपनाथ पुत्र रूपनाथ 5. चुननाथ पुत्र किशननाथ सभी जातियान सिद्ध निवासीगण जानेवा पश्चिम, तहसील जायल, जिला नागौर 6.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर।

वकील वादी
1. श्री ओमप्रकाश फुलफगर,

वकील प्रतिवादीगण
1. श्री रमेश कुमार ढाका

वाद अधीन धारा 88 राजस्थान काश्तकार अधिनियम

निर्णय दिनांक :– 09.09.2020

वादी की ओर से निम्न वाद पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है –

1. यह हैं कि वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 के कब्जे काश्त एवं खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 467 रकबा 10 बीघा व खसरा नम्बर 468 रकबा 28 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 38 बीघा 10 बिस्वा सरहद मौजा चाउ तहसील नागौर व खसरा नम्बर 111 रकबा 30 बीघा 6 बिस्वा मौजा पैरावा तहसील नागौर में स्थित रहता आया हैं। उक्त भूमि पुश्तैनी भूमि हैं, जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का हक हिस्सा व अधिकार रहता आया हैं। वादी का गांव में बोलता नाम पूर्णनाथ है तथा उसका दस्तावेजों में नाम प्रेमनाथ हैं। वादी के पिता श्री किशन नाथ जी का स्वर्गवास होने के बाद में जो उतराधिकार के आधार पर उपरोक्त खेतों में नाम भरा गया वो बोलता नाम पूर्णनाथ के नाम से भर दिया क्योंकि, उसे गांव में पूर्णनाथ के नाम से पुकारा जाता था, इसलिए पूर्णनाथ नाम उक्त खेतों की खातेदारी में अंकित कर दिया गया, जबकि वास्वत में वादी का नाम पूर्णनाथ नहीं होकर प्रेमनाथ था व हैं।
2. यह कि वादी का गांव में बोलता नाम पूर्णनाथ हैं किन्तु वास्तम में उसका नाम प्रेमनाथ हैं तथा उसी अनुसार प्रेमनाथ के नाम से ही उसका राशनकार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड आदि में अंकन किया हुआ हैं। इसके अलावा वादी के नाम ग्राम जानेवा पश्चिम में खातेदारी का खेत हैं जिसमें भी प्रेमनाथ पुत्र किशननाथ के नाम से ही खातेदारी दर्ज है। खसरा नम्बर 467, 468, 111 के बंट अनुसार हिस्से पर वादी का आज दिन भी बतौर खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा हैं तथा वादी ही पूर्णनाथ व प्रेमनाथ है, जिसको दो नामों से पुकारा जाता है जिसके कारण उतराधिकारी के नामान्तरकरण में पूर्णनाथ पुत्र किशननाथ अंकित कर दिया गया। जबकि, वास्तम में उसका नाम प्रेमनाथ पुत्र किशननाथ जाति सिद्ध निवासी जानेवा हैं।

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

इस प्रकार पूर्णनाथ व प्रेमनाथ एक ही व्यक्ति है, इसलिए इसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत हैं।

3. यह हैं कि अभी जनवरी 2019 को वादी केसीसी बनवाने के लिये खतौनी की नकल के लिए पटवारी हल्का के पास गया तो उसने नकल निकाल कर बताया कि उक्त खेत पूर्णनाथ पुत्र किशननाथ के नाम से है, तब वादी को उक्त तथ्य की जानकारी हुई की उसका नाम खतौनी में बोलता नाम पूर्णनाथ गलत अंकित कर दिया गया हैं। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत हैं।
4. यह कि, खतौनी में त्रुटिवंश वादी प्रेमनाथ के स्थान पर उसका बोतला नाम पूर्णनाथ अंकित कर दिया गया, जिसके कारण खतौनी में भी पूर्णनाथ अंकित हो गया है। उक्त भूमि पर कब्जा काश्त निर्बाध व शांति पूर्वक निरन्तर वादी का ही चला आ रहा है। इसलिए वादी के नाम से उपरोक्त खसरान की खातेदारी घोषित करवाने हेतु यह वाद पेश करना लाजमी हुआ।
5. यह कि, इस्तदुआ हैं कि –
    1. कि, खेत खसरा नम्बर 467 रकबा 10 बीघा व खसरा नम्बर 468 रकबा 28 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 38 बीघा 10 बीस्वा सरहद मौजा चाउ तहसील नागौर व खसरा नम्बर 111 रकबा 30 बीघा 6 बिस्वा मौजा पैरावा तहसील नागौर में वादी का नाम पूर्णनाथ पुत्र किशननाथ के स्थान पर प्रेमनाथ पुत्र किशननाथ का इन्द्राज किया जावे।
    2. कि, अन्य दादर्सी लाभार्थ वादी अता फरमाई जावें।

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किया।

प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से श्री रमेश कुमार ढाका ने वकालतनामा एवं जवाब दावा पेश किया जो संलग्न पत्रावली हैं। जिसमें वादी का वाद माफिक वाद स्वीकार किया गया हैं।

पत्रावली संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। दोनो पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों के आधार पर वादी का वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता हैं :– **मौजा ग्राम चाउ तहसील नागौर के खेत खसरा नम्बर 467 रकबा 10 बीघा व खसरा नम्बर 468 रकबा 28 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 38 बीघा 10 बिस्वा एवं ग्राम पैरावा के ख.नं. 111 रकबा 30 बीघा 6 बिस्वा सहखातेदारी में जहां पर पूर्णनाथ पुत्र पुत्र किशननाथ दर्ज हैं, उसके स्थान पर प्रेमनाथ पुत्र किशननाथ का नाम सहखातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.एक्ट के तहत दिया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो।**

निर्णय दिनांक 09.09.2020 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(रामजस विश्नोई)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (मु.)
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर